

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 133/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

जगदीश पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी चान्देड़ी बड़ी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।  
-वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री सन्तलाल बिजारणिया वकील-वादी  
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 30/5/2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री सन्तलाल बिजारणिया वकील वादी व पेरोकारराज की उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा चान्देड़ी बड़ी के खाता सं. 61/56 के ख.नं. 234 की 2.530 है., रोही मौजा मायला के खाता सं. 118/108 के ख.नं. 13 की 1.770 है. भूमि में दर्ज वादी का नाम जुगलाल पुत्र सहीराम के स्थान पर जगदीश पुत्र सहीराम दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30/5/2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

